



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2012/फाल्गुन 4, 1933

No. 40]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2012/PHALGUNA 4, 1933

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2012

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2012 (2012 का सं. 1)

फा. सं. 3-1/संशो./संयो.विनि./2012/सीडी/सीसीआई.—भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 6 की उपधारा (2) और उपधारा (5) के साथ पठित धारा 64 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ख), (ग) और (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. -

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में

कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2012 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2011 में,-

(1) विनियम 5 में,-

(क) उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा,

अर्थात् :-

“(2) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सूचना को सामान्यतः इन विनियमों की अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप 1 में फाइल किया जाएगा, जिसे सम्यक् रूप से भरा और सत्यापित किया जाएगा तथा जिसके साथ संयोजन के पक्षकारों द्वारा अपेक्षित फीस के संदाय का साक्ष्य संलग्न किया जाएगा”;

(ख) उपविनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(3) उपविनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी और उपविनियम (5) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संयोजन के पक्षकार, अपने विकल्प पर इन विनियमों की अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप 2 में सूचना दे सकेंगे, अधिमानी रूप से ऐसी परिस्थितियों में जहां -

(क) संयोजन के पक्षकार एक जैसे, समान या प्रतिस्थापनीय मालों के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, विक्रय या व्यापार अथवा एक जैसी, समान या प्रतिस्थापनीय सेवाओं के उपबंध में लगे हैं और ऐसे संयोजन के पश्चात् संयोजन के पक्षकारों का संयुक्त बाजार शेयर सुसंगत बाजार में पंद्रह प्रतिशत (15%) से अधिक है ;

(ख) संयोजन के पक्षकार मालों या सेवाओं के उपबंध के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, विक्रय या व्यापार के संबंध में विभिन्न बाजारों में उत्पादन श्रृंखला के विभिन्न प्रक्रमों या स्तरों पर लगे हैं और ऐसे संयोजन के पश्चात् संयोजन के पक्षकारों का व्यष्टिक या संयुक्त बाजार शेयर सुसंगत बाजार में पच्चीस प्रतिशत (25%) से अधिक है ।

(ग) उपविनियम (5) के दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ परंतु यह और कि अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2क), अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (11) और इन विनियमों के विनियम 19 के उपविनियम (1) में उल्लिखित समयावधि प्ररूप 2 में सूचना की प्राप्ति की तारीख से प्रारंभ होगी ।”;

(घ) उपविनियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(9) जहां ऐसे चरणों या व्यष्टिक संब्यवहारों की श्रृंखला, जो एक दूसरे से संबद्ध हैं, में आस्तियों को किसी उद्यम को, ऐसे उद्यम द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या उद्यम के साथ अधिनियम की धारा 5 के प्रयोजन के लिए अर्जन या विलयन या समामेलन से संबंधित किसी करार को पूरा करने के लिए अंतरित किया जा रहा है, वहां ऐसे उद्यम की, जिसकी आस्तियों को अंतरित किया जा रहा है, आस्तियों के मूल्य और आवर्त को उस उद्यम की आस्तियों और आवर्त के मूल्य में जोड़ा जाएगा, जिसे उनका अंतरण किया जा रहा है ।”;

(2) विनियम 6 में,-

(क) उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(1) किसी लोक वित्तीय संस्था, विदेशी संस्थागत निवेशक, बैंक या उद्यम पूंजी निधि द्वारा ऋण की किसी प्रसंविदा या निवेश करार के अनुसरण में किए जाने वाले अर्जन के ब्यौरों को, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट ऋण करार या निवेश करार की प्रमाणित प्रति के साथ प्ररूप 3 में बिना किसी फीस के फाइल किया जाएगा ।” ।

(ख) उपविनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(3) अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां उपविनियम (1) के अधीन प्ररूप 3 में फाइल किए गए अर्जन के ब्यौरे आयोग को अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (5) में उल्लिखित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त होते हैं, आयोग अर्जन के ऐसे ब्यौरों को प्ररूप 3 में स्वीकार कर सकेगा।”।

(3) विनियम 9 में,-

(क) उपविनियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु किसी कंपनी की दशा में, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 के विनियम 11 के उपविनियम (1) के खंड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के अलावा प्ररूप 1 या प्ररूप 2 पर कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कंपनी के कंपनी सचिव द्वारा भी हस्ताक्षर किए जा सकेंगे।”;

(ख) उपविनियम (3) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु किसी कंपनी की दशा में, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 के विनियम 11 के उपविनियम (1) के खंड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के अलावा प्ररूप 1 या प्ररूप 2 पर कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कंपनी के कंपनी सचिव द्वारा भी हस्ताक्षर किए जा सकेंगे।”;

(4) विनियम 11 में,-

(क) खंड (क) में, “पचास हजार रुपए (50,000 रुपए)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केवल दस लाख रुपए (10,00,000 रुपए) ;”;

(ख) खंड (ख) में, “दस लाख रुपए (10,00,000 रुपए)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केवल चालीस लाख रुपए (40,00,000 रुपए)।”;

(5) विनियम 13 में, उपविनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(1क) कम से कम दो हजार शब्दों में संयोजन का संक्षिप्त विवरण, जिसमें कोई गोपनीय सूचना अंतर्विष्ट नहीं होगी और जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के संबंध में ब्यौरे सम्मिलित होंगे : (क) संयोजन के पक्षकारों के उत्पाद, सेवाएं और कारबार ; (ख) अधिनियम की धारा 5 के प्रयोजन के लिए आस्तियों/आवर्त के मूल्य ; (ग) ऐसे संबद्ध बाजार, जिनमें संयोजन के पक्षकार क्रियाशील रहते हैं ; (घ) संयोजन के संबंध में करार (करारों)/अन्य दस्तावेजों और निष्पादित /पारित बोर्ड का संकल्प (के संकल्पों) के ब्यौरे ; (ङ) संयोजन की प्रकृति और प्रयोजन ; और (च) ऐसे सुसंगत बाजार (बाजारों) में, जिनमें संयोजन के पक्षकार क्रियाशील रहते हैं, प्रतिस्पर्धा की स्थिति पर संयोजन का संभावित प्रभाव, नौ प्रतियों के साथ, जिसका इलैक्ट्रॉनिक पाठ उपविनियम (1) के अधीन सूचना दिए जाते समय पृथक रूप से दिया जाएगा।”;

(6) अनुसूची 1 में,-

(क) प्रवर्ग (1) में, शब्दों और अंकों “15% से अधिक न हो” के स्थान पर निम्नलिखित शब्द एवं अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“अर्जनकर्ता को 25% या अधिक का हकदार नहीं बनाता”;

(ख) प्रवर्ग (6) के स्थान पर निम्नलिखित प्रवर्ग प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(6) शेयरों के किसी बोनस इश्यू या उनके स्टॉक के विभाजनों या उनके अंकित मूल्य के समेकन या वापसी क्रय या राइट्स इश्यू प्राप्त करने के अनुसरण में शेयरों या मतदान अधिकारों का कोई अर्जन जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण का अर्जन नहीं होता है।”;

572 GI/12-2

(ग) प्रवर्ग (8) में स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ;

(घ) प्रवर्ग (8) के पश्चात् निम्नलिखित प्रवर्ग अंतःस्थापित किया जाएगा,
अर्थात् :-

“(8क) किसी धारित कंपनी और समान समूह वाले किसी उद्यम के पूर्ण स्वामित्व वाली उसकी अनुषंगी कंपनी को अंतर्वलित करने वाला कोई विलयन या समामेलन और/या समान समूह वाले किसी उद्यम के पूर्ण स्वामित्व वाली उसकी अनुषंगी कंपनी को अंतर्वलित करने वाला कोई विलयन या समामेलन ।”;

(7) अनुसूची 2 के प्ररूप (1) में,-

(क) “[विनियम 5 और विनियम 8 देखिए]” कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“[विनियम 5 देखिए]”;

(ख) शब्दों, अंक और कोष्ठकों “ भाग 1

(प्रत्येक द्वारा भरा जाए)” का लोप किया जाएगा ;

(ग) पैरा 4 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“धारा 5 के प्रयोजन के लिए सारणीबद्ध प्ररूप में आस्तियों और आवर्त के मूल्य के ब्यौरे उपलब्ध कराएं ।”;

(घ) पैरा 4 के पश्चात् आए शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों “भाग 2

(विनियम 5 के उपविनियम (2) के खंड (क), (ख), (ग), (घ) या (ङ) में निर्दिष्ट प्रवर्गों के संबंध में नहीं भरा जाएगा)” का लोप किया जाएगा ;

(ङ) पैरा 5.2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“5.2 अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट संबद्ध उद्यम (उद्यमों) के निदेशक बोर्ड द्वारा विलयन या समामेलन के प्रस्ताव के अनुमोदन और/या अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अर्जन या नियंत्रण के अर्जन के संबंध में निष्पादित अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करें।”।

डॉ. सीमा गौड़, सचिव

[विज्ञापन III/4/187-एम/11/असा.]

टिप्पण : मूल विनियमों को अधिसूचना सं.फा.सं.1-1/संयोजन विनियम/2011-12/सीडी/सीसीआई द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, तारीख 11 मई, 2011 में प्रकाशित किया गया था।

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2012

The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2012 (No. 1 of 2012)

F.No.3-1/Amend/Comb. Regl./2012/CD/CCI. - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (b), (c), and (f) of sub-section (2) of section 64 read with sub-sections (2) and (5) of section 6 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations to amend the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Regulations, 2011, namely:-

1. Short title and commencement.-
 - (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2012.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Regulations, 2011,-
 - (1) in regulation 5,-
 - (a) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(2) The notice under sub-section(2) of section 6 of the Act, shall ordinarily be filed in Form I as specified in schedule II to these regulations, duly filled in, verified and accompanied by evidence of payment of requisite fee by the parties to the combination.”;

(b) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2) and without prejudice to the provisions of sub-regulation (5), the parties to the combination may, at their option, give notice in Form II, as specified in schedule II to these regulations, preferably in the instances where-

(a) the parties to the combination are engaged in production, supply, distribution, storage, sale or trade of similar or identical or substitutable goods or provision of similar or identical or substitutable services and the combined market share of the parties to the combination after such combination is more than fifteen percent (15%) in the relevant market ;

(b) the parties to the combination are engaged at different stages or levels of the production chain in different markets, in respect of production, supply, distribution, storage, sale or trade in goods or provision of services, and their individual or combined market share is more than twenty five percent (25%) in the relevant market.”;

(c) in sub-regulation (5), for the second proviso, the following proviso shall be substituted , namely :-

“Provided further that the time period mentioned in sub-section (2A) of section 6 of the Act, sub-section (11) of section 31 of the Act and sub-regulation (1) of regulation 19 of these regulations shall commence from the date of receipt of notice in Form II.”;

(d) after sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(9) Where, in a series of steps or individual transactions that are related to each other, assets are being transferred to an enterprise for the purpose of such enterprise entering into an agreement relating to an acquisition or merger or amalgamation with another person or enterprise, for the purpose of section 5 of the Act, the value of assets and turnover of the enterprise whose assets are being transferred shall also be attributed to the value of assets and turnover of the enterprise to which the assets are being transferred.”;

(2) in regulation 6, -

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(1) The details of acquisition by a public financial institution, foreign institutional investor, bank or venture capital fund, pursuant to any covenant of a loan or investment agreement, shall be filed without any fee in Form III, along with a certified copy of the loan agreement or investment agreement referred to in sub-section (5) of section 6 of the Act.”;

(b) after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(3) Without prejudice to the provisions of the Act, where details of acquisition filed in Form III under sub-regulation (1) are received in the Commission beyond the time limit mentioned in sub-section (5) of section 6 of the Act, the Commission may admit such details of acquisition in Form III.”;

(3) in regulation 9,-

(a) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that in case of a company, apart from the persons specified under clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 11 of the Competition

572 GI/12-3

Commission of India (General) Regulations, 2009, Form I or Form II may also be signed by the Company Secretary of the company, duly authorised by the board of directors of the company.”;

- (b) in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that in case of a company, apart from the persons specified under clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 11 of the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, Form I or Form II may also be signed by the Company Secretary of the company, duly authorised by the board of directors of the company.”;

- (4) in regulation 11,-

- (a) in clause (a), for the words, brackets and the figures “rupees fifty thousands (Rs. 50, 000) only;”, the following shall be substituted, namely:-

“rupees ten lakhs (Rs. 10,00,000) only;”;

- (b) in clause (b), for the words, brackets and the figures “rupees ten lakhs (Rs. 1, 000, 000) only;”, the following shall be substituted, namely:-

“rupees forty lakhs (Rs. 40,00,000) only.”;

- (5) in regulation 13, after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(1A) A summary of the combination, not containing any confidential information, in not less than 2000 words, comprising inter alia the details regarding: (a) the products, services and business(es) of the parties to the combination; (b) the values of assets/turnover for the purpose of section 5 of the Act; (c) the respective markets in which the parties to the combination operate; (d) the details of agreement(s)/other documents and the board resolution(s) executed/passed in relation to the combination; (e) the nature and purpose of the combination; and (f) the likely impact of the combination on the state of the competition in the relevant market(s) in which the parties to the combination operate, along with nine copies and an electronic version

thereof shall be separately given while delivering the notice under sub-regulation (1).”;

(6) in Schedule I,-

(a) in category (1), for the words, brackets and figures “do not exceed fifteen per cent (15%)”, the following shall be substituted, namely:-

“does not entitle the acquirer to hold twenty five per cent (25%) or more”;

(b) for category (6), the following category shall be substituted, namely:-

“(6) An acquisition of shares or voting rights pursuant to a bonus issue or stock splits or consolidation of face value of shares or buy back of shares or subscription to rights issue of shares, not leading to acquisition of control.”;

(c) in category (8), the explanation shall be omitted;

(d) after category (8), the following category shall be inserted, namely:-

“(8A) A merger or amalgamation involving a holding company and its subsidiary wholly owned by enterprises belonging to the same group and/or mergers or amalgamations involving subsidiaries wholly owned by enterprises belonging to the same group.”;

(7) in Schedule II, in Form I,-

(a) for brackets, words and figures “{See regulation 5 and regulation 8}”, the following shall be substituted, namely:-

“{See regulation 5}”;

(b) the words and brackets “Part I (To be filed by everyone)” shall be omitted;

(c) for paragraph 4, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"4. Provide details of value of assets and turnover for the purpose of section 5 in a tabular format.";

(d) after paragraph 4, the words, brackets, letters and figures "Part II (Not to be filled in respect of categories referred to in clauses (a), (b), (c), (d) or (e) of sub-regulation (2) of regulation 5)" shall be omitted;

(e) for paragraph 5.2, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"5.2 Furnish copies of approval of the proposal relating to merger or amalgamation by the board of directors of the enterprise(s) concerned referred to in clause (a) of sub-section (2) of section 6 of the Act and/or other document executed in relation to the acquisition or acquiring of control referred to in clause (b) of sub-section (2) of section 6 of the Act."

Dr. SEEMA GAUR, Secy.

[ADVT. III/4/187-M/11/Exty.]

Note : Principal Regulations published *vide* Notification No. F. No. 1-1/Combination Regulations/2011-12/CD/CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th May, 2011